

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 776 सन 2019

अनवान :-

1. भगवानाराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर ।
2. मंगीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवाससी गिराजसर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
2. हनुमान पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
3. दयाराम पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
4. गिरदावरी पुत्री-हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
5. केशर पुत्री हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
6. राकेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
7. रेशमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
8. निराणी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
9. लिलावती पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
10. बिमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
11. सन्तोष पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
12. धापी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थत श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 67/56 की कुल 6.8480हैव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की कुल 1.2088हैव एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60/56 की कुल 6.8480हैव व रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की 6.347हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1,2 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4,5,7 ता 12 ता वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4,5,7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4,5,7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद छिद्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 ता 12, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तरण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 67/56 की कुल 6.8480 हैव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की कुल 12.088 हैव एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60/56 की कुल 6.8480 हैव व रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की 6.347 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 ता 12 ता वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालार्ड/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तरण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 67/56 की कुल 6.8480हैव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की कुल 12.088हैव एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60/56 की कुल 6.8480हैव व रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/116 की 6.347हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से दर्ज है।


भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि चेताराम पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा चेताराम पुत्र हरजीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पैतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4,5,7 ता 12 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या , 4,5,7 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सभुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्मा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4,5,7 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या-1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सभुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 67/56 की कुल 6.8480हैव भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/118 की कुल 12.088हैव में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60/56 की कुल 6.8480हैव में वादी2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब तथा रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/118 की कुल 12.088 है में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलानन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाव्ना दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उत्तराधिकार अधिकारी (राजस्व)  
नोहरा (रहबुखानगढ़)

## पर्चा डिफेंस

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भगवानाराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर ।
2. मांगीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवाससी गिराजसर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

- 1 हेमराज पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 2 हनुमान पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 3 दयाराम पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 4 गिरदावरी पुत्री हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 5 केशर पुत्री हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 6 राकेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 7 रेशमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 8 निराणी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 9 लिलावती पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 10 बिमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 11 सन्तोष पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 12 धापी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 776 सन 2019 निर्णय दिनांक- 31/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिफ्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 67/56 की कुल 6.8480हैव भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिव एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/118 की कुल 12.088हैव में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60/56 की कुल 6.8480हैव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिव तथा रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117/118 की कुल 12.088 है में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 50000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिफ्री आज दिनांक 31/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (तहनुमानगढ)

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भगवानाराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर ।
2. मांगीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवाससी गिराजसर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
2. हनुमान पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
3. दयाराम पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
4. गिरदावरी पुत्री हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
5. केशर पुत्री हेमराज जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
6. राकेश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
7. रेशमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
8. निराणी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
9. लिलावती पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
10. विमा पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
11. सन्तोष पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
12. धापी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 776 सन 2019 निर्णय दिनांक- 31/07/2020**

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 67 / 56 की कुल 6.8480हैव भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 124 / 117 की कुल 12.0870व में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 60 / 56 की कुल 6.8480हैव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब तथा रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 117 / 118 की कुल 12.088 है में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलान 50000 / - रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ़ )